न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)
पीठासीन अधिकारी श्री रवि कुमार (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या 66 / 2024
निर्णय दिनांक :– 06/05/2024

1. कमला पत्नी नोरंगलाल जाति जाट निवासी धीरवास तहसील तारानगर जिला चूरू।

– प्रार्थीनी –

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

– अप्रार्थी –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129
राजस्थान लैण्ड रैवन्यू एक्ट

उपस्थित :– (1) राजपैरोकार वास्ते अप्रार्थी।

निर्णय

प्रार्थीनी ने प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 एल.आर. एक्ट इस आशय का पेश किया कि कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 3070 / 251 तादादी 0.5058 हैक्टेयर रोही मौजा धीरवास तहसील तारानगर जिला चूरू के वे खातेदार काश्तकार है। कृषिभूमि के पड़ौसियान हमेशा सींव बाबत प्रार्थीनी के साथ झगड़ा फसाद करते रहते हैं जिस कारण प्रार्थीनी अपनी खेत के चारो तरफ बाड बगैरह सही ढ़ंग से नहीं कर सकते ना ही अपने खेत को सुधार सकते है। व उक्त कृषिभूमि गांव के निकट होने से आवारा पशुओं का खेत में घुसने व फसल को नष्ट करने का खतरा हमेशा बना रहता है प्रार्थीनी की कृषिभूमि मौका पर कम भी हो गई है। इसलिए प्रार्थीनी अपनी कृषिभूनि की पैमाईश करवा कर इसके चारों ओर पत्थर गढ़ी करवाना चाहते है। आदि–आदि।

इस प्रकार प्रार्थीनी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खेत खसरा नम्बर 3070 / 251 तादादी 0.5058 हैक्टेयर रोही मौजा धीरवास तहसील तारानगर जिला चूरू के पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से राजपैरोकार उपस्थित। अप्रार्थी ने जाहिर किया कि प्रकरण में सीमाज्ञान किया गया है। राजपैरोकार ने पत्थरगढ़ी आदेश हेतु निवेदन किया है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन पेश नही हुआ।

बहस प्रार्थीनी की सुनी गई। प्रार्थीनी ने बहस में प्रार्थनापत्र के तथ्यों को ही दौहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार करने एवं विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया। प्रार्थीनी की बहस पर गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीनी खेत खसरा नम्बर 3070 / 251 तादादी 0.5058 हैक्टेयर रोही मौजा धीरवास तहसील तारानगर जिला चूरू के वे रिकॉर्ड खातेदार है। बतौर राजपैरोकार के खेत का सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। राजपैरोकार ने पत्थरगढी

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर चूरू

आदेश का निवेदन किया है। प्रार्थीनी अपने खेत की सुरक्षा के लिए चारो ओर निशानदेही देकर पत्थर गढ़ी करवाना चाहते है प्रार्थीनी ने अपनी भूमि का सीमाज्ञान पत्थरगढी का अनुतोष चाहा है। प्रार्थीनी की भूमि की पत्थरगढ़ी से किसी भी पक्ष को कोई नुकसान नहीं होगा। प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन भी पेश नहीं हुआ हैं।

वर्णित विवेचन से प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है अतः स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीनी के खेत **खसरा नम्बर 3070/251 तादादी 0.5058 हैक्टेयर रोही मौजा धीरवास तहसील तारानगर** जिला चूरू की पैमाईश कर राजस्व नक्शा के मुताबिक सीमाचिन्ह कायम कर इसकी पुख्ता पत्थरगढ़ी कराने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार तारानगर को आदेशित किया जाता है कि वह पैमाईश में दक्ष कार्मिकों टीम गठित कर स्वयं या नायब तहसीलदार साहवा के निर्देशन में पडौसी खातेदारों को उपस्थिती का अवसर देते हुये उक्त खेत की पत्थरगढ़ी करावे। पत्थरगढ़ी का समस्त खर्चा प्रार्थीनी वहन करेगी। निर्णय की एक प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार को पालनार्थ भेजी जावें।

रवि कुमार (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 06/05/24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

रवि कुमार (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)